



# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- एफ2(3)/लागत/1037/311


दिनांक: 03/8/12  
03/9/12

-:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 16.8.2012 को सम्पन्न हुई बैठक के बिन्दु संख्या 216.31 में लिये गये निर्णय अनुसार आदेश क्रमांक: एफ2(3)लागत/1037/248 दिनांक: 08.8.2011 द्वारा मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं हेतु प्रभावी भूमि एवं विकास दर जिसकी वैधता दिनांक 30.6.2012 थी, में से निम्नलिखित योजनाओं को छोड़कर शेष समस्त योजनाओं की वैधता अवधि दिनांक 30.9.2012 तक बढ़ाई जाती है :-

प्रताप नगर सांगानेर, पंचशील, एवं नाका मदार अजमेर, किशनगढ़ फेज-प्रथम एवं द्वितीय, गढ़ी थोरियान ब्यावर, नसीराबाद, शिव सिंहपुरा सीकर, नई आवासीय योजना झुंझून्, चुरू, एस.टी.सी.भरतपुर, बाड़ी रोड़ धौलपुर, चौपासनी रोड़ जोधपुर, स्वामी विवेकानन्द नगर, एवं कुन्हाड़ी कोटा, गोवर्धन विलास, एवं गोवर्धन विलास विस्तार, पानोरिया की मादड़ी नई भूमि एवं साउथ एक्सटेंशन, सवीना खेड़ा फेज-प्रथम एवं द्वितीय, उदयपुर, द्वारका नगर राजसमन्द, रिको योजना, तिलक नगर, पटेल नगर, एवं विस्तार रॉयला एवं गुलाबपुरा फेज-प्रथम एवं द्वितीय भीलवाड़ा, सैंती-सेगवा रोड़ चित्तौड़गढ़, पुरानी योजना, अटल नगर निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर एवं शिवाजी नगर विस्तार, डुंगरपुर।

अन्य शर्तें पुर्वानुसार ही रहेगी।

  
आवासन आयुक्त,  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ.म., जयपुर।
- 2- व.निजी सहायक-सचिव/वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी/अति.मु. अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/रा.आ.म., जयपुर।
- 3- मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा.आ.म., जयपुर।
- 4- समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त ..... रा.आ.मण्डल, .....
- 5- समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड ..... रा. आ. मण्डल, .....
- 6- लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त, .....
- 7- रक्षित फाईल।

  
वित्तीय सहायक

216th Board Meeting Dated 16-8-2012